रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72 REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 15, 1982/माघ 26, 1903
No. 26] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 15, 1982/MAGHA 26, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना संख्या-8 आईटीसी (पीएन)/82

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1982

विषय.—1981-82 के दौरान (पूर्ण या आंशिक रूप से अभिमुख) पालिएस्टर फिलामेन्ट यार्न का आयात ।

फिसिल सं० आई पी०सी०/3/51/79.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 13 आईटी०सी० (पी०एन)/81, दिनांक 3 अप्रैल, 1981 के अधीन यथा संशोधित अप्रैल-1981-मार्च-1982 के लिए आयात नीति के अनुसार खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन निर्धारित शर्तों के अनुसार वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) के लिए वेस फ्लेट, प्रथम क्वालिटी (पूर्ण/आंशिक रूप से अभिमुख) पालिएस्टर फिलामेन्ट यार्न का आयात अनुमेय है ।

2. एक प्रश्न उठाया गया था कि क्या औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 की प्रथम अनुसूची की क्रम सं० 23(1) के अधीन अनुज्ञप्त सूती मिलें वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) के रूप में खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत (पूर्ण/आंशिक रूप से अभिमुख) पालिएस्टर फिलामेन्ट यार्न के आयात के लिए पात्र थीं । मामले की जांच की गई है और सभी सम्बद्धों के लिए स्थिति इस प्रकार स्पष्ट की जाती है :—

"औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 की प्रथम अनुसूची की मद सं० 23(1) उस उद्योग के बारे में बताती है जो सूती यार्न, होजरी और रस्से सहित पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सूत से तैयार किए गए कपड़े के विनिर्माण या उत्पादन में लगा हुआ है । तदनुसार, कानूनी तौर पर यह कहना सही होगा कि उक्त कानून के प्रावधान के अनुसार इसके अधीन अनुज्ञप्त/पंजीकृत उद्योग के लिए कपड़े के विनिर्माण या उत्पादन के प्रयोजन के लिए सूत के अतिरिक्त पालिएस्टर फिलामेंट यार्न के उपयोग के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है ।"

3. उपर्युक्त स्पष्टीकरण के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक एकक वास्तविक उपयोक्ताओं के रूप में खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत (पूर्ण या आंशिक रूप से अभिमुख) पालिएस्टर फिलामेंट यार्न के आयात के लिए पात्र हैं ।

4. इस स्पष्टीकरण का उन अन्य नियमों तथा शर्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनके अधीन सम्बद्ध वास्तविक उपयोक्ता आयातक को एक औद्योगिक लाइसेंस/पंजीकरण प्रदान किया गया है ।

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक
आयात-निर्यात
तख्त राम, संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE
(Import Trade Control)

Public Notice No. 8-ITC(PN)/82

New Delhi, the 15th February, 1982

Subject.—Import of Polyester Filament Yarn (fully or partially-oriented) during 1981-82.

File No. IPC/3/51/79.—In accordance with the Import Policy for April-1981—March 1982, published under the

Ministry of Commerce Public Notice No. 13-ITC(PN)/81 dated the 3rd April, 1981, as amended, the import of Polyester Filament Yarn base flat, first quality (fully/partially oriented) is allowed under Open General Licence to Actual Users (Industrial) In accordance with the condition laid down.

2. A question had been raised whether cotton mills licensed under Item No. 23(1) of the First Schedule to the Industries (Development & Regulation) Act, 1951, were eligible to import Polyester filament yarn (fully/partially oriented) under Open General Licence as Actual Users (Industrial). This matter has been examined, and the position is clarified as under for the guidance of all concerned :—

"Item 23(1) of the First Schedule to the Industries (Development & Regulation) Act, 1951, relates to an industry engaged in the manufacture or production of textiles made wholly or in part of cotton including cotton yarn, hosiery and rope. Accordingly, it would be legally correct to say that in terms of the said provision of law, there is no restriction in an industry licensed/registered under it, using polyester filament in addition to cotton for the purpose of manufacturing or producing textiles."

3. Industrial units covered by the above clarification are eligible to import polyester filament yarn (fully/partially oriented) under OGL as Actual Users (Industrial).

4. This clarification is without prejudice to any other terms or conditions subject to which an industrial licence/registration has been granted to the concerned Actual User importer.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports & Exports.

TAKHAT RAM, Jt. Chief Controller Imports & Exports.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982